


२१/११९ पत्रावली पैरा ६(१) वादिया तथा वादिया
के अधिकार हाजिर नही। बाद-बार
वादिया तथा वादिया के अधिकार को
आवाज लगायी गई, न वादिया स्वयं
हाजिर आदालत आयी तथा मा ही
वादिया के अधिकार हाजिर आदालत
आये। अतः बाद वादिया कास्त बरकरा
आदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली मुसल मुकाम
होकर नम्बर में कम है। दाखिल
दफतर है।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)